

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

तेरहवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की तेरहवीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 12 सितम्बर, 2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे दिव्या रिजार्ट, शास्त्रीपुरम्, UPSIDC, औद्योगिक क्षेत्र, मंगलम् आधार अपार्टमेंट्स के सामने, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. 31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लाभ में से रु. 100/- वाले 36,13,157 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 9/- प्रति समता अंश की दर से, कुल रु. 3.25 करोड़ वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. : 09680147), जो “श्रेणी सी” के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के

अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न-अध्यादेश) श्री राहुल कुमार, कंपनी की निदेशक, जो "श्रेणी सी" के अंतर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती पवन (डी.आई.एन. : 11908230) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।"

4. श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 10242846), जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) कंपनी की निदेशक श्रीमती सुलेखा जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आती हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती रेखा (डी.आई.एन. : 11908274) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी।"

5. श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 8526498) को "श्रेणी ए" के अंतर्गत आते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) श्री योगेश कुमार जादौन, कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी-ए" के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम देवी (डी.आई.एन. : Applied For) को जो "श्रेणी-बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, को कम्पनी ने निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी।"

6. 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।"

7. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं सदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य लागू धाराओं, यदि कोई हो, तथा कंपनी के ज्ञापन एवं उननियमों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के वर्तमान उपनियमों में निम्नलिखित प्रकार एवं सीमा तक संशोधन किया जाए:

- (1) कंपनी के उपनियमों के वर्तमान अनुच्छेद 4.3 (iii) को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :

- 4.3(iii) कोई भी सदस्य, जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्य के रूप में हटाए जाने के संबंध में कंपनी द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उक्त नोटिस का उत्तर देना होगा। इसके पश्चात् बोर्ड इस विषय पर निर्णय लेगा। तथापि, सदस्यों को नोटिस भेजने के प्रयोजन से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान कर सकता है।

ऐसा नोटिस या दस्तावेज सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करके अथवा साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है।

डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजा गया नोटिस सामान्य प्रक्रिया में उसकी डिलीवरी के लिए आवश्यक सामान्य अवधि की समाप्ति पर सदस्य को विधिवत तामील किया हुआ माना जाएगा।

कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस, प्रेषण की तारीख को विधिवत तामील किया हुआ माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को डिलीवरी विफल होने, डिलीवरी न होने अथवा ई-मेल के वापस आने (Bounce-Back) की कोई सूचना प्राप्त न हो।

- (2) कंपनी के उपनियमों के अनुच्छेद 4.4(iv) के तुरंत बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(iv) सम्मिलित किया जाए :

4.4(iv) कोई सदस्य, किसी विशेष वर्ग के सदस्यों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक/निदेशकों के निर्वाचन या नियुक्ति में मतदान करने के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने निर्वाचन या नियुक्ति से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता वर्ग पर लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो।

- (3) कंपनी के उपनियमों के वर्तमान अनुच्छेद 4.5 (ii) को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

4.5(ii) कंपनी अपने सदस्यों से दूध की खरीद के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रचलित मूल्य तथा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर सदस्यों को अलग-अलग मूल्य का भुगतान कर सकती है।

- (4) कंपनी के उपनियमों के वर्तमान अनुच्छेद 9.6(i) को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

9.6(i) कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम सभा में कुल निर्वाचित निदेशकों के एक-चौथाई निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पद को अनुच्छेद 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे, जिन्होंने अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। यदि किसी एक ही वार्षिक आम सभा में एक से अधिक निदेशकों की नियुक्ति हुई हो, तो सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक/निदेशकों का निर्धारण लॉटरी/पर्ची द्वारा किया जाएगा।

- (5) कंपनी के उपनियमों अनुच्छेद 9.16 को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

9.16 कोई निर्वाचित निदेशक, कंपनी का सदस्य न रहने या कंपनी के उपनियमों 4.4(i) के अंतर्गत मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपात्र हो जाने पर अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो देगा। इसके अतिरिक्त, कोई सदस्य बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा।

- (6) वर्तमान अनुच्छेद 9.16(xiii) के तुरंत बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद 9.16(xiv), 9.16(xv) एवं 9.16(xvi) सम्मिलित किए जाएं :

9.16(xiv) वह अस्वस्थ मस्तिष्क (unsound mind) का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में घोषित किया गया है।

9.16(xv) वह एक अविमोचित दिवालिया (undischarged insolvent) है अथवा उसने स्वयं को दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है और ऐसा आवेदन लंबित है।

9.16(xvi) उसे निदेशक पहचान संख्या (DIN) आवंटित नहीं की गई है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव का कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों को करने

और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

दिनांक : 21 अगस्त, 2026
स्थान : आगरा

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम-लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

टिप्पणीयाँ –

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार एक सदस्य, हाथ दिखाकर मतदान करने के साथ-साथ स्वयं के स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी एक सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को कंपनी का प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत पूरा करके, मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। इसके साथ एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे तेरहवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएँ।
3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुए एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसे अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हों।
4. एक व्यक्ति अधिकतम तीन सौ (300) सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, जो कुल मिलाकर कंपनी की शेयर पूँजी का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :
 1. ऊपर मद संख्या 3, 4 एवं 5 में दिए गए अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में विवरण।
 2. 14 अगस्त, 2025 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त।
 3. 31 मार्च, 2026 को लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठा और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, साथ में निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
 4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट।
6. जिन सदस्यों को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेज दें।
7. संलग्न नोटिस और संलग्न विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ सभी संचार में सोलह अंकों का सदस्यता कोर्ड और फोलियो नंबर उद्धृत करें।
9. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2026 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देंगे।
10. सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ), यदि सीमित रिटर्न (लाभांश) का दावा नहीं किया जाता है। अवधि के भीतर भुनाया नहीं जाता है। इसकी घोषणा तारीख से 7 साल बाद, दावा न की गई राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण के कारण अवैतनिक लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2018-19	06 / 09 / 2019	05 / 11 / 2026
2019-20	02 / 11 / 2020	01 / 01 / 2027
2020-21	24 / 09 / 2021	23 / 11 / 2028
2021-22	23 / 08 / 2022	22 / 10 / 2029
2022-23	16 / 09 / 2023	15 / 11 / 2030
2023-24	25 / 09 / 2024	24 / 11 / 2031
2024-25	14 / 08 / 2025	13 / 10 / 2032

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं किया है, वे उक्त निधि में स्थानांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी, पता और मोबाइल नम्बर पंजीकृत/अद्यतन करें।
12. बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध होगी।
13. वार्षिक आम बैठक स्थल तक पहुंचने का रूट मैप प्रमुख स्थल चिन्ह सहित नोटिस का हिस्सा है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 21 अगस्त, 2026
स्थान : आगरा

ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम-लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

मद संख्या 3, 4 एवं 5

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्रीमती पवन (डी.आई.एन. : 11908230 जो 'श्रेणी-सी' का प्रतिनिधित्व करती हैं), श्रीमती रेखा (डी.आई.एन. : 11908274 जो 'श्रेणी सी' का प्रतिनिधित्व करती हैं और श्रीमती पूनम देवी (डी.आई.एन. : Applied For जो श्रेणी 'बी' का प्रतिनिधित्व करती हैं) कि नियुक्ति करने का प्रस्ताव करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

	श्रीमती पवन	श्रीमती रेखा	श्रीमती पूनम देवी
उम्र	55	36	44
शैक्षिक योग्यता :	हाईस्कूल	ग्रेजुएट	पोस्ट ग्रेजुएट
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 35 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 18 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 25 साल का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	तेरहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	तेरहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	तेरहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	—	—	—
अंश पूजीधारिता :	34	29	70
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

मद संख्या : 7

कंपनी के (AoA) की समीक्षा कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं, सुशासन संबंधी प्रथाओं तथा उत्पादक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के आलोक में की गई है। समीक्षा के आधार पर, सुशासन के ढाँचे को सुदृढ़ करने तथा प्राकृतिक दक्षता के सुधार करने के उद्देश्य से कंपनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 4.3 (iii), 4.4, 4.5(ii), 9.6 (i) तथा 9.16 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित संशोधनों में मुख्य रूप से नोटिस की तामील से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना तथा अतिरिक्त सुशासन संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करते हुए निदेशकों की पात्रता एवं अयोग्यता के मानदंडों को सुदृढ़ करना शामिल है। इन संशोधनों का उद्देश्य बेहतर सुशासन को बढ़ावा देना, अंतर्नियमों में स्पष्टता में सुधार करना, दोहराव को दूर करना, वैधानिक प्रावधानों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना तथा कंपनी के उत्पादक सदस्यों के हितों की सुरक्षा करते हुए कंपनी के कुशल संचालन को सुगम बनाना है।

बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों की एक प्रति प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य नोटि की तिथि से वार्षिक आम सभा की तिथि तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके किसी भी रिश्तेदार को इस प्रस्ताव में कोई व्यक्तिगत हित या सरोकार नहीं है।

निदेश मंडल, इस प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति के लिए बैठक की सूचना के क्रमांक 7 में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन हेतु सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 21 अगस्त, 2026
स्थान : आगरा

ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम-लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की बारहवीं वार्षिक आम सभा, जो शनिवार, दिनांक 14 अगस्त, 2025 को सुबह 10:30 बजे होटल मधु रिसॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है:

उपस्थिति :

1.	श्री शिव प्रताप	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एवं अंशधारक)
2.	श्री राहुल कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती सुलेखा	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती रजनी	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री शीलेन्द्र कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री सुशील कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती उमा भदौरिया	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री अवनेश कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री रघु एच. मल्लेगौड़ा	:	निदेशक एवं अंशधारक
13.	डॉ. प्रफुल्ल भानवाड़िया	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
14.	श्री वरुण वर्मा	:	कंपनी सचिव

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 130

प्रतिनिधि के माध्यम से : 38,598

श्री शिव प्रताप ने प्रातः 10:30 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की उपस्थिति की पुष्टि करने को कहा।

इसके बाद, कंपनी सचिव श्री वरुण वर्मा ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से 130 सदस्य जिनके 6,759 अंश हैं और प्रॉक्सी के माध्यम से 38,598 सदस्य जिनके 19,41,131 अंश हैं, उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपटित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 33,037 सदस्य होने चाहिए।

अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार, कोरम बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम 33,037 सदस्य अंशधारक मौजूद हैं, बैठक का कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष ने कंपनी की बारहवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के निदेशक डॉ. सौगत मित्रा बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मैसर्स एस.एन. धवन एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने अपनी व्यस्तताओं के कारण वार्षिक आगम बैठक (AGM) में उपस्थित न होने के लिए छूट का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कंपनी सचिव श्री वरुण वर्मा ने घोषणा की कि, सदस्यों के निरीक्षण के लिए निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों की अंशधारिता का विवरण और अन्य वैधानिक रजिस्टर बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर रखे गए हैं।

कंपनी की बारहवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस, जो पहले सदस्यों को वितरित किया गया था, उपस्थिति सभी सदस्यों की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यताएं नहीं थीं और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को अपना भाषण दिया।

सदस्यों को अपना संबोधन समाप्त करने पर, अध्यक्ष ने बैठक को बारहवीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित कार्यों को निपटाने का निर्देश दिया।

बैठक में निम्नलिखित व्यवसाय किये गये :

1. 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं

निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।

श्री शिवपाल सिंह (फोलियो नं.: 0245325) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 01 / 12वीं वार्षिक आम सभा : 14.08.2025 / 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

श्री ब्रजेश सिंह (फोलियो नं.: 0073469) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न ;लाभांशद्व पर विचार करना और घोषित करना।

श्री डैबरी लाल (फोलियो नं.: 0079475) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 02 / 12वीं वार्षिक आम सभा : 14.08.2025 / 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के आरक्षित और अधिशेष में से 8/- रुपये प्रति समता अंश की दर से 100/- रुपये वाले 31,81,783 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2.55 करोड़ रुपये सीमित रिटर्न (लाभांश) की मंजूरी दी गई है और इसकी पुष्टि की गई है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए थे।”

श्री रामजीलाल (फोलियो नं.: 0166843) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री सुशील कुमार (डीआईएन: 09300081) जो “श्रेणी-ए” के अंतर्गत आते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से

सेवानिवृत्त होंगे)

श्रीमती मिथिलेश कुमारी (फोलियो नं.: 0026366) जो "श्रेणी बी" का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03 / 12वीं वार्षिक आम सभा : 14.08.2025 / 2025-26

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ श्री सुशील कुमार कंपनी की निदेशक जो "श्रेणी-ए" के अंतर्गत आते हैं जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्रीमती पूनम यादव (डीआईएन : 11200177) को जो "श्रेणी बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होगी।"

श्री अनीता यादव (फोलियो नं.: 0211211) जो "श्रेणी बी" का प्रतिनिधित्व करती है ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको श्रेणी सी के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. : 07894230) जो "श्रेणी-सी" के अंतर्गत आते हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री गुड्डू (फोलियो नं.: 0089729) जो "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04 / 12वीं वार्षिक आम सभा : 14.08.2026 / 2025-26

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अंतर्नियमों के अंतर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किस भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्री शिवप्रताप कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी सी" के अंतर्गत आते हैं जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्रीमती सोनम कुमारी (डीआईएन : 11200113) को जो "श्रेणी सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होगी।"

श्री सुनीता (फोलियो नं.: 0214924) जो "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करती हैं ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको "श्रेणी सी" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410) जो बार्ड में "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूर्ण करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

श्रीमती सुमन देवी (फोलियो नं. 0816972) जो "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 05 / 12वीं वार्षिक आम सभा : 14.08.2025 / 2025-26

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अंतर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किस भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्री शिव कुमार शर्मा कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी सी" के अंतर्गत आते हैं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्रीमती प्रेमलता (डीआईएन : 11200161) को जो "श्रेणी सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होगी।"

श्रीमती संगीता देवी (फोलियो नं.: 0251413) जो "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको "श्रेणी सी" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर और उसका अनुमोदन करना।

श्रीमती हेमलता (फोलियो नं.: 0229486) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06 / 12वीं वार्षिक आम सभा : 14.08.2025 / 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष पारित किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।”

श्रीमती आरती कुमारी (फोलियो नं. : 0229645) ने का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

7. संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्डों पर विचार कर अनुमोदन करना।

श्री पवन कुमार (फोलियो संख्या : 0249136) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07 / 12वीं एजीएम : 14.08.2025 / 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि छठी वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या – 09 / छठी वार्षिक आम सभा : 06.09.2019 / 2019-20 को खारिज करते हुए एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में व्यवसाय में सभी की भागीदारी (अर्थात् संरक्षता) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्ड नीचे दिये गए हैं :”

क्र.सं.	मानदण्ड	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'
1.	एक वर्ष में कंपनी को दूध आपूर्ति किये गतिविधियों की संख्या	330 दिन या उससे अधिक	270 दिन या उससे अधिक	200 दिन या उससे अधिक
2.	कंपनी द्वारा आपूर्ति किये गये वार्षिक दूध की संख्या (लीटर में)	8,000 या उससे अधिक	3,000 या उससे अधिक	5000 या उससे अधिक
3.	एक वर्ष में, शीतकालीन महीनों (नवम्बर-फरवरी) और ग्रीष्मकालीन महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान की गई दूध की आपूर्ति की मात्रा	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए
4.	कंपनी के अंकित मूल्य प्रति अंश रु. 100/- अभिदान किये गये न्यूनतम अंशों की संख्या	80 अंश	30 अंश	05 अंश

नोट –

- (अ) वास्तविक अंशधारी या आपूर्ति किये गये दूध की मात्रा, जो भी कम हो, श्रेणी वर्गीकरण करने के लिए माना जायेगा।
- (ब) संरक्षता गणना के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :
- (i) जिन सदस्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़ा गया है और अभी तक उन सदस्यों ने अपनी सदस्यता क 365 दिनों का पूरा नहीं किया है, लेकिन उनके द्वारा चुनी गई श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी ले ली गई है, उन्हें उस श्रेणी से सम्बन्धित माना जाएगा।
 - (ii) कोई भी सदस्य जो “श्रेणी-ए” या “श्रेणी-बी” के तहत मानदण्डों को पूरा नहीं करेगा, उसका उचित निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है जिसके लिए वह सदस्य मानदण्डों को पूरा करता है। हालांकि, वह इस वर्ष में निदेशक मण्डल के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा।
 - (iii) वे सदस्य जो कम से कम “श्रेणी-सी” को बनाए रखने के लिए आवश्यक मापदण्डों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द जारी करने का नोटिस जारी किया जायेगा।

श्री अवधेश (फोलियो संख्या : 0145948) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

8. बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानदंडों के आधार पर जाँच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार करना और उन्हें निम्नलिखित रूप से साधारण प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित करना।

श्रीमती सरिता देवी (फोलियो संख्या : 0237754) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 08 / 12वीं एजीएम : 14.08.2026 / 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि तृतीय वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या : 09 / तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016 / 206-17 जो 10.09.2016 को आयोजित हुई थी को खारित करते हुये, XXI-A सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और ज्ञापन-पत्र व कंपनी अंतर्नियमों के

अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों के आधार पर नामांकन समिति के गठन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश एतद्वारा अंगीकृत व स्वीकृत किये जाते हैं (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः अध्यादेश अथवा अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) जो कि इस प्रकार हैं—

- (i) बोर्ड 'कंपनी के बोर्ड में उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार' के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') का बोर्ड एक "नामांकन समिति" का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह में करेगा।
- (ii) कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा (श्रेणी-ए, श्रेणी-बी या श्रेणी-सी वर्ग के अन्तर्गत), उत्पादक निदेशकों की रिक्ति की घोषणा की जायेगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों के नामांकन आमंत्रित करने हेतु एक सूचना कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट (यदि हो) पर और/या सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजकर और/या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/तरीके से, सम्बन्धित श्रेणी/श्रेणियों के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जायेगी, जिनके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है।
- (iii) अनुच्छेद के तहत, बोर्ड ऐसे सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालना "नामांकन समिति" द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) "नामांकन समिति" निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए 'प्रार्थी' के योग्यता अंक पर विचार करेगी।

प्रार्थी की योग्यता हेतु अंक मानदंड	
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे : (95% या अधिक दिन – 30, 85% से < 95% दिन-20, 75% से < 85%-15 65% से < 75%-10, 55% से ए 65%-5, <55%-0)	30
इस अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार संपूर्ण अधिशेष (सरप्लस) की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (अ, ब, स) में से किसी एक की निरंतर सदस्यता बनाकर रखने पर – प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक दिये जायेंगे।	30

आवेदक की शैक्षणिक योग्यता : पुरुषों के लिए 12वीं पास होने पर 5 अंक, स्नातक होने पर 10 अंक, परास्नातक होने पर – 15 अंक महिलाओं के लिए – 10वीं पास होने पर – 5 अंक, 12वीं पास होने पर – 10 अंक, स्नातक पास होने पर – 15 अंक	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक), वीसीजी/एमआरजी : (5 अंक), एलडीपी (लीडरशिप डवलपमेंट प्रोग्राम)/बोर्ड निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)	20
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नामांकन समिति' में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे –

- सदस्यता की श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है। बशर्ते ऐसी उत्पादक-सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभा से सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक-सदस्य निदेशक योग्य सिद्ध होते हैं, तो यदि उनके बीच कोई समझौता न हो, तो और ऐसी किसी भी आपसी सहमति के अधीन लॉटरी (या चिट्ठी डालकर चलन) के माध्यम से नामांकन समिति सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक – सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक को ड्रा ऑफ लॉटस – सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थिति निदेशकों की आपसी सहमति से या चिट्ठी डालकर चयन के द्वारा चुना जायेगा।
- कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक।
- किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से एक विशेषज्ञ, या ऐसी संस्थान से जो स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर चुकी है।

कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नामांकन समिति' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नामांकन समिति की सभा के लिखित कार्य विवरण सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।
- बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों को वचुनने के लिए 'नामांकन समिति' के द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी देगा।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

श्रीमती निधी (फोलियो संख्या : 0228647) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. एन.डीडीबी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सहकारी समिति की अंश पूंजी को सब्सक्राइव करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना, तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव को पारित करना :

श्री गोरेलाल (फोलियो संख्या : 0024969) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 09 / 12वीं एजीएम : 14.08.2025 / 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियम एवं बर्हिनियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के अध्याय XXIA और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों/कानूनों (जिसमें समय-समय पर किये गये वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम को भी शामिल किया जाये) के अन्तर्गत कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि कंपनी एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य बने और कंपनी के सामान्य भण्डार (ळमदमतंस त्मेमतअमे) की अधिकतम 30% सीमा तक उस बहु राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है, कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही करने और दस्तावेज निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।”

श्री अंशुल यादव (फोलियो संख्या : 0268817) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

दिनांक : 14 अगस्त, 2025
स्थान — आगरा

मिनट बुक में प्रविष्टि की तारीख : 18 अगस्त, 2025
ह./—
कंपनी सचिव

ह./—
शिव प्रताप
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 07894230

सहज®

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी

आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026-27
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	7.41
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	1,63,596.40
अन्य आय	रुपये लाखों में	1,116.50
कुल आय	रुपये लाखों में	1,64,712.90
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	1,46,284.65
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	17,750.65
कुल व्यय	रुपये लाखों में	1,64,035.30
कर पूर्व लाभ (अ-ब)	रुपये लाखों में	677.60
	प्रतिशत (%)	0.41%

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026-27
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	794.58
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	99.68
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	4.50
कुल व्यय	रुपये लाखों में	898.76



सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन. : U01403UP2014PTC066595
कंपनी का नाम : सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत
सदस्य(यों) का नाम :
पंजीकृत पता :
ई-मेल पता :
फोलियो संख्या :
मैं/हम उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा
निम्न को नियुक्त करते हैं -

1. नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर : या उनके न होने पर
2. नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर :

दिनांक 12 सितम्बर, 2026 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 10:30 बजे दिव्या रिजार्ट, शास्त्रीपुरम्, UPSIDC औद्योगिक क्षेत्र, मंगलम् आधार अपार्टमेंट्स के सामने, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की तेरहवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषण करना।			
3.	श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. : 09680147), जो "श्रेणी-सी" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. : 10242846), जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
5.	श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498), जो "श्रेणी-ए" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
6.	1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7.	कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करना।			

....., 2026 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा करें।

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक् रूप से पूर्ण एवं कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

सहज®

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

तेरहवीं वार्षिक आम सभा – 12 सितम्बर, 2026

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	

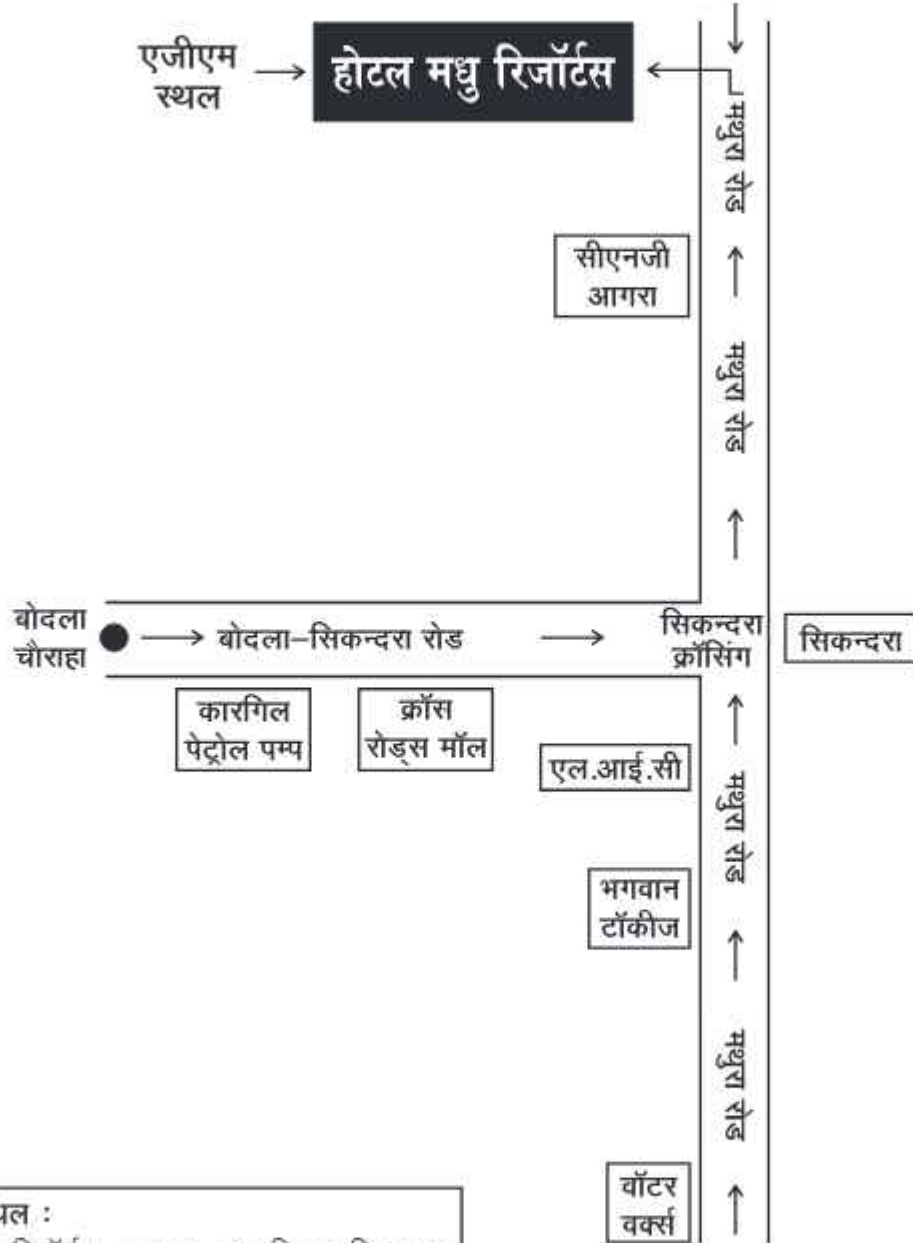
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्वारा दिव्या रिजार्ट, शास्त्रीपुरम्, UPSIDC औद्योगिक क्षेत्र, मंगलम् आधार अपार्टमेंट्स के सामने, आगरा-282007, भारत में शनिवार, 12 सितम्बर, 2026 को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की तेरहवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप



एजीएम स्थल :

होटल मधु रिजॉर्ट्स, एन.एच.-19, निकट सिकन्दरा
मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007

बुक-पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क

प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी

आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेजे)